दिनांक 14.03.2014 को उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की सम्पन्न हुई विद्या परिषद की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः—

1.	प्रो0 वी0के0जैन, कुलपति।	अध्यक्ष
2.	डा0 ए0के0स्वामी, प्राचार्य, जी0बी0पंत इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी।	सदस्य
3.	डा0 वी0के0मेहता, निदेशक, कालेज ऑफ इंजीनियरिंग कालेज, रूड़की	सदस्य
4.	डा0 ए0के0शाह, निदेशक, टी0एच0डी0सी0—आई0एस0ई0टी0, नई टिहरी।	सदस्य
5.	डा0 एस0सी0हाण्डा, निदेशक, क्वांटम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, रूड़की।	सदस्य
6.	डा0 लक्समया, निदेशक, जी0आर0डी0 कालेज, देहरादून।	सदस्य
7.	प्रो0 आर0के0सिंह, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	विशेष आंमत्रित
8.	श्री अवनीश जैन, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य— सचिव
9.	श्री एस0पी0सचान, ओ0एस0डी0 उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	विशेष आंमत्रित
10.	डा0 आशीष उनियाल, उप—कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	विशेष आंमत्रित
11.	श्री अवधेश नौटियाल, उप—परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	विशेष आंमत्रित
12.	श्री एस0पी0एस0रावत, सहायक कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	विशेष आंमत्रित
13.	डा0 एस0के0गोयल, निदेशक, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून।	विशेष आंमत्रित
14.	श्रीमती शबाली गुरूंग, सहायक निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	विशेष आंमत्रित

बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व मा0 कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद में नामित पूर्व सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा वर्तमान में नामित सदस्यों का विद्या परिषद में स्वागत किया गया, जिसके उपरान्त बैठक प्रारम्भ की गयी।

मद सं0 01ः—

विद्या परिषद् की चतुर्थ बैठक के कार्यवत्त का अनुमोदन एवं सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय :— विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा सर्व सम्मिति से विद्या परिषद की सम्पन्न हुई चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। सम्मानित सदस्यों को इस बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही से सादर अवगत कराया गया।

डा0 ए0के0स्वामी, प्राचार्य, जी0बी0पंत इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी द्वारा सुझाव दिया गया कि इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से जो प्रवेश दिये जाते है में प्रथम काउन्सिलिंग में सीट आंवटन के उपरान्त यदि छात्र द्वारा द्वितीय काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किया जाता है तो छात्र से न्यूनतम रू0 200/— शुल्क लिये जाने के उपरान्त ही ऑनलाइन प्रकिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिस पर सर्व सम्मिति से सहमति हुई कि यह प्रस्ताव प्रवेश प्रकिया के समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाये।

मद सं0 02:–

विश्वविद्यालय के संघठक संस्थान टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0, नई–टिहरी में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं अनुमोदन।

1. **THE PROPOSAL FOR STARTING HYDRO POWER SPECIALIZATION ELECTIVE SUBJECT AT THDC-IHET, NEW TEHRI**

विनिश्चय :–निदेशक, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिसके उपरान्त HYDRO POWER SPECIALIZATION, ELECTIVE SUBJECT संस्थान में Audit Course के रूप में प्रारम्भ किये जाने पर विद्या परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गयी। यह भी सहमति हुई कि पाठ्यक्रम में प्राप्त अंको का विवरण छात्र की अंकतालिका में प्रदर्शित किया जायेगा।

2. **THE APPROVAL FOR STARTING FOR NCC UNIT AT THDC-IHET, NEW TEHRI**

विनिश्चय :– विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त विद्या परिषद द्वारा संस्थान में **NCC UNIT** प्रारम्भ किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

3. **APPROVAL OF MODEL RULES FOR TESTING AND CONSULTANCY TO BE DONE BY THE FACULTY AND STAFF OF THDC-IHET.**

विनिश्चय :– विद्या परिषद के सदस्यों को सादर अवगत कराया गया कि संस्थान निदेशक द्वारा द्वाराहाट इंजीनियरिंग संस्थान के अनुसार Consultancy Rule टिहरी संस्थान में भी लागू किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

विद्या परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सहमति हुई कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत Consultancy Rules संस्थान द्वारा लागू किये जा सकते है।

4. **APPROVAL OF ACADEMIC CALENDAR AND WORK LOAD AS PER UGC REGULATIONS**

विनिश्चय :– Teaching Load के संबंध में विद्या परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि AICTE Norms के अनुसार संस्थान में Teaching Load निर्धारित किया जाय। संस्थान द्वारा प्रस्तावित Casual Leaves and Academic Leaves के संबंध में विद्या परिषद द्वारा संस्थान प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

डा0 आशीष उनियाल, उपकुलसचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय द्वारा समस्त संघठक संस्थानों में एकरूपता के उद्देश्य से इस संस्थान के निदेशक को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि संस्थान में

शिक्षण कार्य अन्य संघठक संस्थानों की भांति 6 दिवस प्रति सप्ताह होगें, क्योंकि इस संस्थान में शिक्षण कार्य 5 दिवस प्रति सप्ताह ही थे।

विद्या परिषद द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार संस्थान 6 दिवसीय किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

5. APPROVAL FOR REVISED PBAS FORMAT BASED ON THE UGC REGULATIONS, JUNE 2013 FOR FACULTY MEMBERS OF THDC-IHET

विनिश्चय :— विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रारूप का सर्व सम्मिति से अनुमोदन किया गया।

मद सं0 03:—

परीक्षा नियंत्रक के पत्रांक 19610 दिनांक 23.01.2014 द्वारा प्रेषित एजेण्डा को विद्या परिषद से अनुमोदन के संबंध में।

1- **दिनांक 03.12.2013 को परीक्षा समिति की सम्पन्न हुई सांतवी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

विनिश्चय :— परीक्षा समिति की सम्पन्न हुई उक्त सांतवी बैठक में लिये गये निर्णय से विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया जिसके उपरान्त विद्या परिषद द्वारा सर्व सम्मिति से परीक्षा समिति की सम्पन्न हुई सांतवी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2- **परीक्षा समिति की सम्पन्न हुई सातवीं बैठक में विभिन्न बिन्दुओं जिनके संबंध में विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन किया जाना है, का विवरण।**

2.1 परीक्षा समिति की सातवीं बैठक में रखे गये एजेण्डा बिन्दु संख्या—709 पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं के साथ ही सम्बन्धित सेमेस्टर की बैक परीक्षायें भी आयोजित करायी जायेंगी और अलग से कोई भी बैक अथवा स्पेशल बैक परीक्षायें नहीं करायी जायेंगी। समिति द्वारा इस प्रकरण पर विद्या परिषद (Academic Council) से अनुमोदित कराये जाने पर सहमति बनी है।

विनिश्चय :— प्रकरण में विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिसके उपरान्त सहमति हुई कि विशेष परिस्थितियों में "विशेष बैक पेपर परिक्षाऐं" आयोजित किये जाने के संबंध में तत्समय विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

2.2 परीक्षा समिति की सातवीं बैठक में रखे गये एजेण्डा बिन्दु संख्या—710 पर समिति की सर्वसम्मति सहमति बनी है कि Sessional exams में अनुत्तीर्ण छात्रों के सम्बन्ध में संस्थान स्तर पर ही निर्णय लिया जाय। ऐसे कमजोर छात्रों, जो Sessional exams में अनुत्तीर्ण हैं उनके लिये संस्थान स्तर पर ही विशेष कक्षायें संचालित की जायं तद्ोपरान्त सम्बन्धित छात्रों के Sessional exams करवाते हुये उक्त परिणाम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म भरे जाने से पूर्व

विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर एक मॉडरेशन कमेटी का गठन किये जाने के सुझाव पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। उक्त मॉडरेशन कमेटी में परीक्षा नियंत्रक(अध्यक्ष), उप कुलसचिव (सदस्य) एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रमों से एक–एक विषय विषेशज्ञ बतौर सदस्य नामित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है। इस वर्ष एवं गत वर्षों में जो छात्र सैद्धान्तिक परीक्षा (Theory Exam) में उत्तीर्ण हैं और Sessional exams में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे छात्रों को Sessional exams का 60 प्रतिशत अंक प्रति विषय विश्वविद्यालय को अपने स्तर पर निर्गत किये जायेगें।

विनिश्चय :– विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्नलिखित पर सहमति हुई।

1. Sessional Exams के संबंध में जो व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है, वह यथावत रहेगी।
2. संस्थान में अध्यनरत छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रखी जाये।

2.3 फार्मेसी एवं अन्य पाठ्यक्रमों के संस्थानों के निदेशकों द्वारा एजेण्डा बिन्दु संख्या–710 में दी गयी व्यवस्था से अवगत कराया गया है कि उक्त व्यवस्था का लाभ बी0फार्म0 के Sessional exams में अनुत्तीर्ण छात्रों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बी0फार्म0 एवं अन्य पाठ्यक्रमों जिनमें में Theory/Sessional के अंक 80/20 एवं 70/30 में से दिये जाते हैं, जबकि बी0टैक0 में Theory/Sessional के अंक 100/50 में से दिये जाते हैं। बी0फार्म एवं अन्य संस्थानों के निदेशकों द्वारा उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अंक प्रदान किये जाने की मांग पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि बी0फार्म0 एवं अन्य पाठ्यक्रमों में भी Theory/Sessional के अंक 80/20 एवं 70/30 के स्थान पर 100/50 के पूर्णांक की व्यवस्था किये जाने हेतु आगामी (BOS) बोर्ड ऑफ स्ट्डीज से रेक्टीफाइड कराये जाने पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।

विनिश्चय :– विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि फार्मेसी पाठ्यक्रम से संबंधित Board of Studies की बैठक सम्पन्न की जा चुकी है तथा उक्त पर सहमति भी Board of Studies द्वारा की जा चुकी है। तदोपरान्त विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त सर्व सम्मिति से बी0फार्मा पाठ्यक्रम के Theory/Sessional Marks अन्य पाठ्यक्रमों में लागू व्यवस्था के अनुसार 100/50 किये जाने पर अनुमोदन किया गया।

2.4 विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2013–14 में एम0टैक (Structural Engineeering, Production Engineering, Structural Engineeering Construction, Manufacturing Process, Manufacturing Science & Engineering, ECE, CS, Electrical Engineering, Wireless, Mobile Communication & Mechatronics) ब्रांचों की BOS करायी गयी है।

विनिश्चय :– विद्या परिषद उक्त से अवगत हुई।

2.5 विश्वविद्यालय द्वारा 17 ब्रांचों/विषयों M.Tech.(Research) Ph.D./D.Sc./ M.Tech.(Sequential) में पी0एच0डी0(ऑर्डिनेंस/रेगुलेशन संलग्न है) संचालित करायी जा रही है तथा सत्र 2013–14 में ब्रांचवार/विषयवार उत्तीर्ण छात्रों की संख्या।

विनिश्चय :– विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि 6 छात्रों द्वारा 5 विषयों में M.Tech.(Research), 27 छात्रों द्वारा Ph.D, 1 छात्र द्वारा D.Sc एवं 19 छात्रों द्वारा M.Tech (Sequential) की उपाधि प्राप्त करने हेतु समस्त शैक्षणिक औपचारिकताऐं पूर्ण की जा चुकी है, जिस पर विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा अवगत होते हुए इन उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

2.6 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे M.Tech. Sequential/ M.Tech.(Research) को सत्र 2013–14 से बन्द किये जाने के संबंध में।

विनिश्चय :– विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2013–14 से M.Tech. Sequential पाठ्यक्रम को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त विद्या परिषद द्वारा इस पाठ्यक्रम को बन्द किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

M.Tech.(Research) के संबंध में अवगत कराया गया कि विभिन्न IITs/NITs आदि संस्थाओं में यह पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अतः विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि इन संस्थाओं में संचालित इस पाठ्यक्रम के संबंध में अध्यन कर विस्तृत रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाये, ताकि निर्णय लिया जा सके कि यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाये अथवा नहीं, जिस हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित किये जाने का सर्व सम्मिति से विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

Prof. S.C.Handa	Director General	Quantum School of Engineering, Roorkee
Prof. A.K.Swami	Principal	G.B.Pant Engineering College, Pauri
Prof. R.K.Singh	Controller of Examination	Uttarakhand Technical University- Convenor

2.7 विश्वविद्यालय का सत्र 2013–14 हेतु एकेडमिक कैलेंडर का अनुमोदन।

विनिश्चय :– विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया Academic Calender विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है तथा समस्त सम्बद्ध संस्थाओं को भी प्रेषित किया जा चुका है, जिसके अनुसार संस्थाओं में शैक्षणिक एवं गतिविधियां सम्पादित की जा रही है। उक्त का संज्ञान लेते हुए विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा Academic Calender 2013-14 का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद सं0 04:–

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों से शैक्षिक सत्र 2013–14 में उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री प्रदान किये जाने के संबंध में।

विनिश्चय :– परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि शैक्षिक सत्र 2013–14 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्रों को डिग्रीया प्रदान की जानी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. Ph.D - 30
2. MBA - 1782
3. MCA - 490
4. M.Tech - 116
5. B.Tech - 4350
6. M.Pharma - 122
7. B.Pharma - 432
8. BHMCT - 109
9. B.Arch - 38

उक्त का संज्ञान लेते हुए विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा उक्त उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 05:–

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान Selaqui Institute of Management **द्वारा दो वर्षीय** MBA-EML **पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में पाठ्यचर्या का अनुमोदन।**

विनिश्चय :– प्रकरण में निम्नलिखित से विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया:–

1. संस्थान को दो वर्षीय एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम 120 की प्रवेश क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2013–14 से प्रदान की गयी है।
2. संस्थान द्वारा MBA-EML पाठ्यक्रम को संस्थान में लागू किये जाने हेतु विश्वविद्यालय को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, जिसके कम में तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय द्वारा Board of Studies गठित की गयी। संबंधित Board of Studies द्वारा उक्त पाठ्यकम की पाठ्यचर्या का अनुमोदन किया गया।

संस्थान में MBA-EML पाठ्यकम जिसकी पाठ्यचर्या उपरोक्तानुसार गठित Board of Studies द्वारा अनुमोदित की गयी है, को संस्थान में लागू किये जाने के संबंध में विस्तृत

विचार विमर्श विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा किया गया, जिसके उपरान्त निम्नलिख्ति पर विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. AICTE द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक छात्रों का प्रवेश संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा।

2. विश्वविद्यालय द्वारा MBA पाठ्यक्रम में निर्धारित Core Subjects को संस्थान द्वारा MBA-EML छात्रों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होगें। Specialization के रूप में EML Subject की पाठ्यचर्या जो BOS द्वारा पूर्व में अनुमोदित की गयी है, को संस्थान में लागू किया जा सकता है, जिस हेतु परीक्षा नियंत्रक अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

मद सं0 06:—

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी क्षेत्र में स्थापित बी0एड0 संस्थानों को सत्र 2013—14 से श्री देव सूमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, नई टिहरी को स्थानान्तरित किये जाने एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं को उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से यथावत् सम्बद्ध एवं इन संस्थाओं की परिक्षाऐं सम्पादित किये जाने का अनुमोदन।

विनिश्चय :— उक्त के संबंध में विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को निम्नलिखित से अवगत कराया गया:—

1. **बी0एड0 संस्थाओं के संबंध में**—उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध तीन संस्थाऐं जिनकी सम्बद्धता सत्र 2013—14 हेतु राजभवन सचिवालय द्वारा निर्गत की गयी थी को श्री देव सुमन विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित कर दिये गये तथा शेष 22 बी0एड0 संस्थाओं की सम्बद्धता के प्रकरण उत्तराखण्ड शासन/राज भवन सचिवालय द्वारा गतिमान है।

   सत्र 2012—13 हेतु उक्त 25 बी0एड0 संस्थाओं में अध्यनरत छात्रों की परिक्षाऐं विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित करा दी गयी है तथा मुल्यांकन का कार्य गतिमान है जैसा कि उप परीक्षा नियंत्रक द्वारा विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया।

   विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा उक्त का संज्ञान लिया गया तथा निर्देशित किया गया कि मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त छात्रों का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर दिया जाये।

अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में:— बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाऐं उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, जिसके संबंध में विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि सत्र 2013–14 हेतु भी इन संस्थाओं की सम्बद्धता उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से की गयी है तथा संचालित पाठ्यक्रमों की परिक्षाऐं विश्वविद्यालय द्वारा ही सम्पन्न करायी गयी है एवं मूल्यांकन का कार्य गतिमान है।

उक्त से विद्या परिषद के मा0 सदस्य अवगत हुए तथा मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>*मद सं0 07:—*</u>

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के बी0टेक0 आर्डिनेन्स की धारा 6.3 में संशोधन किये जाने हेतु अनुमोदन।

विनिश्चय :— परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में बी0टेक0 आर्डिनेन्स की धारा 6.3 के अनुसार किसी भी छात्र द्वारा अधिकतम 7/5 वर्ष में बी0टेक0 पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होता है। यदि किसी छात्र Medical Grounds के आधार पर विश्वविद्यालय की विभिन्न परिक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो भी यह नियम लागू रहता है। विश्वविद्यालय को इस संबंध में विभिन्न छात्रों से Medical Grounds के आधार पर अतिरिक्त समय एवं परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित संशोधन धारा 6.3 में किये जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

"Proposed Ammendement in the Ordinance Clause 6.3- 7(seven)/5(five)year /zero session/zero year:- A candidates/students semester/year will be treated as zero semester/zero year on genuine medical ground if recommended by constituted committee formed by Hon'ble Vice Chancellor".

विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्तावित संशोधन पर विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त सहमति प्रदान की गयी तथा निम्नलिखित समिति के गठन का भी अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर छात्र को परिक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

Prof. A.K.Swami	Principal	G.B.Pant Engineering College, Pauri
Prof. A.K.Shah	Director	THDC-IHET, New Tehri
Prof. R.K.Singh	Controller of Examination	Uttarakhand Technical University- Convenor
Medical Doctor	To be nominated by Hon'ble Vice Chancellor	

मद सं0 08:–

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के सम्बद्ध संस्थान बिपिन त्रिपाठी कुमांयू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, द्वाराहाट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्वायत शासी संस्थान (Autonomous Institution) घोषित किये जाने के फलस्वरूप संस्थान द्वारा संस्था स्तर पर गठित विद्या परिषद की प्रथम बैठक के प्रषित कार्यवृत्त के अनुमोदन के संबंध में।

विनिश्चय :– संस्थान द्वारा प्रेषित प्रथम विद्या परिषद बैठक के कार्यवृत्त का विस्तृत अवलोकन विश्वविद्यालय विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा किया गया तथा विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिसके उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

1. संस्थान द्वारा Academic Council, Board of Studies and Examination Committee में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि का प्राविधान किया गया है, जिस पर विश्वविद्यालय विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा सर्व सम्मिति से सहमति प्रदान की गयी। **मा0 कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान की विद्या परिषद की बैठक जब भी आहूत की जायेगी, तो संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा की विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य हो।**

2. संस्थान द्वारा प्रेषित कार्यवृत्त के बिन्दु–2.1 में निम्नलिखित अंकित है।

   "The decisions taken by the Academic Council will not be subject to any further ratification by the Academic Council or other statutory bodies of the University."

   उक्त के संबंध में मा0 कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के स्वायत शासी संस्थान आई0एम0ए0, देहरादून, एन0डी0ए0, खड़कवासला आदि की भी Academic Council गठित है। इन संस्थाओं के Academic Council की बैठक के कार्यवृत्त जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की Academic Council द्वारा Ratify किये जाते है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के स्वायत शासी संस्थाओं के Academic Council के कार्यवृत्त भी अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा Ratify किये जायेगें, जिस पर विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त विश्वविद्यालय विद्या परिषद मा0 सदस्यों द्वारा सर्व सम्मिति से सहमति प्रदान की गयी।

3. जी0बी0पंत इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी स्वायत शासी संस्था होने के फलस्वरूप संस्था के प्राचार्य द्वारा Academic Council की बैठक कर कार्यवृत्त विश्वविद्यालय विद्या परिषद के मा0 सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

उक्त के संदर्भ में विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सहमति हुई कि दोनों संस्थाओं (बिपिन त्रिपाठी कुमांयू प्रौद्यिगिकी संस्थान, द्वाराहाट एवं जी0बी0पंत इंजीनियरिंग कालेज, पौड़ी) द्वारा प्रेषित Academic Council Minutes, Ordananсes of Various Courses and Registration of P.hd Students rules etc. के अध्ययन हेतु निम्नलिखित समिति के गठन पर सहमति प्रदान की गयी।

1. Prof. S.C.Handa, Director, Quantum School of Engineering, Roorkee.
2. Controller of Examination, UTU-Convenor
3. Director, Women Institute of Technology, Dehradun
4. Dean Academics of both Institutions (BTKIT, Dwarahat & GBPEC, Pauri)

उक्त समिति दोनों संस्थाओं द्वारा प्रेषित उपरोक्त Ordinances आदि का अध्ययन करेगी तथा दोनों संस्थाओं के Rules and Regulations में एकरूपता लाने के उद्देश्य से अपनी रिपोर्ट एक माह में विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगी।

4. प्राचार्य, जी0बी0पी0ई0सी0, पौडी द्वारा विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि स्वायत शासी संस्था घोषित होने के फलस्वरूप संस्था द्वारा समस्त सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन संस्था स्तर पर किया जा रहा है एवं परीक्षाफल भी संस्थान स्तर पर ही घोषित किया जा रहा है। **उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्थान परीक्षाफल घोषित करने से पूर्व सम्पूर्ण परीक्षाफल तैयार कर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही परीक्षाफल घोषित करें एवं अंकतालिका छात्रों को संस्थान स्तर पर वितरित करें। संस्थान परीक्षाफल की एक प्रति विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसी परीक्षाफल के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को डिग्री प्रदान की जायेगी। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त प्रकिया बी0टी0के0आई0टी0, द्वाराहाट द्वारा अपनाई जा रही है। इस प्रकार दोनों संस्थाओं में परीक्षाफल घोषित किये जाने के संबंध में प्रकिया में एकरूपता आ जायेगी।**

मद सं0 09:–

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में संचालित विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के संबंध में।

विनिश्चय :– विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की संस्थाओं में H.N.B.G.U. के कुछ पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या अपनाई गयी है तथा कुछ पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या तैयार कर संबंधित बोर्ड ऑफ स्टडीस गठित कर अनुमोदन प्राप्त किया गया है, जिसका विवरण निम्न तालिका में अंकित है।

S.No.	Name of Course	Remarks
1.	B.Sc Agriculture (Semester)	HNBGU, Syllabus being followed
2.	B.Sc Forestry (Semester)	
3.	B.Sc Horticulture (Semester)	
4.	Bachelor of Science in MLT (Annual)	
5.	M.B.B.S.	
6.	M.Sc. Medical Courses (Annual)	
7.	B.Sc Optometry	
8.	B.Sc Medical Microbiology	
9.	M.Sc Zoology	
10.	M.Sc Botany	
11.	MPT (Annual)	
12.	M.Sc Microbiology	
13.	M.A. Home science	
14.	B.Sc Animation (Semester)	Uttarakhand Technical University, Syllabus being followed
15.	Bachelor of Hotel Management (Semester)	
16.	M.Sc (Ag) Agronomy (Annual)	
17.	M.Sc Biotech (Semester)	
18.	B.Ed Special Education (Visual Impairment) (Annual)	
19.	B.Sc Nursing (Annual)	
20.	Master of Hotel Management	
21.	B.Sc Fashion Designing	

विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा उक्त का संज्ञान लिया गया एवं उपरोक्त अंकित तालिका में पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या को विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं में लागू किये जाने की पुष्टि की गयी।

मद सं0 10:–

क) तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम की पाठ्चर्या के अनुमोदन के संबंध में।
विनिश्चय :– विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को निम्नलिखित से अवगत कराया गया :–

- सत्र 2013–14 में तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में लागू पाठ्यचार्य की संस्तुति संबंधित बी0ओ0एस0 द्वारा की जा चुकी है।
- सत्र 2014–15 से तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में लागू होने वाली पाठ्यचर्या की संस्तुति संबंधित बी0ओ0एस0 द्वारा की जा चुकी है।

उक्त का संज्ञान लेते हुए विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा तीन वर्षीय एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में उपरोक्तानुसार लागू की गयी पाठ्यचर्या जिसकी संस्तुति संबंधित BOS द्वारा की गयी, को लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

ख) सिद्धार्थ लॉ कालेज, देहरादून को विधि विषयों हेतु Research Centre के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

विनिश्चय :— विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.02.2014 द्वारा विश्वविद्यालय को पत्र प्रेषित कर संस्थान को विधि विषयों हेतु Research Centre के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया। उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान से विधि पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्राप्त की गयी।

Faculty Qualification and Experience, Research Publications in National & International Journals by the faculty, Status of Books, Journals etc in the Library, No. of LLB batches passed out from the college etc. so as to analyse whether the institution can be recognized as a research centre for Law Courses or not.

From the information provided by the institute, there are very less number of faculty with adequate qualification. The infrastructure in the library is not adequate which can cater to research scholars. Further, only one batch of LLB course has passed out in current academic year only.

उपरोक्त तथ्यों पर विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा सर्व सम्मिति से सहमति हुई कि संस्थान में उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए Research Centre हेतु मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान न की जाये।

मद सं0 11:—

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई बिन्दु।

1. परीक्षा नियंत्रक द्वारा विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि गत वर्ष AICTE द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के सम्बद्ध संस्थाओं में प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था।

    a. 5 year MBA Intergrated Program
    b. 2 year M.Tech Electronics and Power Converter

परीक्ष नियंत्रक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त दोनों पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में संचालित नहीं है। अतः इन पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कर BOS गठित कर संस्तुति करा ली जायेगी। चूंकि उक्त दोनों पाठ्यक्रम संस्थानों में संचालित किये जा रहे है। अतः इन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षाऐं संचालित की जानी है।

उक्त का संज्ञान लेते हुए विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा उक्त दोनों पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षाऐं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. मा0 कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद के मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि समय–समय पर विभिन्न संस्थाओं की सम्बद्धता हेतु एक निरीक्षण समिति गठित की जाती है, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को नामित किया जाना होता है। साथ ही विभिन्न विषयों में पी0एच0डी0 की RDC हेतु भी विषय विशेषज्ञ विश्वविद्यालय द्वारा नामित किये जाते है।

निरीक्षण समिति एवं पी0एच0डी0 हेतु विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार की गयी है। मा0 कुलपति महोदय द्वारा इन सूची में अंकित विषय विशेषज्ञों को निरीक्षण समिति एवं पी0एच0डी0 की RDC हेतु नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा उक्त सूची का अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. शिवालिक कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून द्वारा रोजगार के उद्देश्य से विभिन्न विषयों में नये Elective Subjects Introduce किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसकी सूची निम्नवत् है।

New Electives Proposed for B.Tech Computer Sciences and Engineering		
	Current Electives	**New Electives Recommended**
Semester 7th	**TCS-071** Digital Image Processing **TCS-072** Soft Computing TCS- **TCS073** Wireless Networks TCS- **TCS074** Information Security	1. **Embedded and Systems Programming** 2. **Mobile Platform Programming** 3. **Cloud Computing**
Semester 8th	**ELECTIVE-II** **TCS-081** Parallel Computing **TCS-082** Database Administration **TCS-083** Advance Computer Network **TCS-084** Fault Tolerant Computing **ELECTIVE-III** **TCS-086** Computer Vision **TCS-087** Advanced DBMS **TCS-088** Intrusion Detection Systems **TCS-089** Cryptography & Network Security	1. **Advanced Game and Systems Programming** 2. **Advanced Mobile Communication Technologies** 3. **Advanced Cloud Based Software Development**

New Electives Proposed for B.Tech Mechanical Engineering		
	Current Electives	**New Electives Recommended**
Semester 7th	TME-011 Non Conventional Energy Resources TME-012 Advanced Engineering Material TME-013 Optimization Techniques in Engineering TME-014 Advanced Welding Processes TME-015 Non Destructive Testing	
Semester 8th	ELECTIVE-II TME-020 Total Quality Management TME021 Advanced Fluid Mechanics TME-022 Mechatronics TME-023 Finite Element Method TME-024 Six Sigma and Applications TME-030 Experimental Stress Analysis TME-031 Thermal Turbo Machines TME-032 Robotics and Automation TME-033 Machine Tool Design TME-034 Unconventional Manufacturing Processes	• **Computational Fluid Dynamics**

New Electives Proposed for B.Tech Electronics and Communication Engineering		
	Current Electives	**New Electives Recommended**
Semester 7th	**TEC 011** Digital System Design Using VHDL **TEC 012** Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic **TEC 013** Principles of Secure Communication **TEC 014** Mobile Computing	• Bio Medical Electronics
Semester 8th	**TEC 021** Spread Spectrum Systems **TEC 022** Reliability Engineering **TEC 023** Selected Topics in Communication **TEC 024** Digital Image Processing **TEC 031** Random Signal Theory **TEC 032** Optical Networks **TEC 033** Adaptive Signal Processing **TEC 034** Embedded Systems	• Industrial Electronics

New Electives Proposed for B.Tech Electrical and Electronics Engineering		
	Current Electives	**New Electives Recommended**
Semester 7th	**TEE 011** Utilization of Electrical Energy and Traction **TEE 012** SCADA and Energy Management **TEE 013** DBMS and Data Mining **TEE 014** Digital Control Logic **TEE 015** Neural Network and Fuzzy Logic	• Computer Aided Designing of Electrical Machines
Semester 8th	**TEE 012** Modern Control Systems **TEE 022** Bio-Instrumentation **TEE025**High Voltage AC and DC Transmissions **TEE 031** Power Quality **TEE032**PowerConverting Applications **TEC 031** Embedded Systems **TEC 033** Reliability Engineering	• Computation and Simulation in Electrical Engineering

विद्या परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा उक्त Elective Subjects Introduce किये जाने हेतु पाठ्यचर्या तैयार करने एवं BOS की संस्तुति किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में मा0 कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

(अवनीश जैन)
कुलसचिव

(प्रो0 वी0के0जैन)
कुलपति